



# HAMIRPUR POLICE



दिनांक-16/10/2020

थाना बिवार

**प्रभावी पैरवी कर महिला उत्पीडन से सम्बन्धित अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलायी गयी:-**

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशान में जघन्य अपराधो से सम्बंधित अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 24.11.2019 को थाना बिवार में पंजीकृत सम्बंधित मु0अ0स0- 257/19 धारा- 376 AB IPC व 06 पोक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय हमीरपुर द्वारा अभियुक्त रामदेव निषाद पुत्र फूला निषाद निवासी बांधुर थाना बिवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गयी है। जिसके लिये पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर एवं पैराकार बिवार व सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

**मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किये गये अभियुक्तों का विवरण:-**

1) अभियुक्त रामदेव निषाद पुत्र फूला निषाद निवासी बांधुर थाना बिवार